

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
संचिका सं०-03/भू०अ०नि० (5) अपील-46/2023.....

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं०-8319 दिनांक-03.10.2023 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री नीतीश कुमार जवाहर, (Emp. ID No.- AEN02404), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री नीतीश कुमार जवाहर के अपील की सुनवाई हेतु दिनांक- 23.02.2024 को 04:00 बजे अपराह्न का समय निर्धारित की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी को ई-मेल के द्वारा प्रेषित की गयी है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

अपील अभ्यावेदन पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया है। उभय पक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी का कथन, निदेशालय का मंतव्य, अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई ने पत्रांक-368 दिनांक-25.05.2023 के द्वारा श्री जवाहर के विरुद्ध सर्वे अमीनों को पदाधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाये जाने जिससे सर्वे कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा मुक्त करने की अनुशंसा की है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक-5735 दिनांक-11.07.2023 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा कर्मियों को उकसाये जाने संबंधी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिससे सर्वेक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुई हो। द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर ऐसे आरोप लगाये गये हैं। इनके द्वारा उल्लेख किये गये हैं कि आवंटित राजस्व ग्रामों का कैथी लिपि से हिन्दी रूपांतरण का तेरीज लेखन के साथ-साथ विशेष सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों का कार्य ससमय पूरा किया गया है।

निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने एवं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को पदाधिकारियों के खिलाफ आंदोलन हेतु उकसाये जाने के आरोप में इनकी संविदा समाप्त की गयी है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी से राजस्व ग्राम-जोगाझिगाई में हुए विलम्ब का कारण पूछने पर अपीलार्थी द्वारा सरकारी जमीन इत्यादि का ब्यौरा खानापूरी कार्य हेतु उपलब्ध नहीं रहना बताया गया तथा अपने स्तर से किये गये पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दु एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि मेरे द्वारा शिविर कार्यालय से सम्बद्ध अन्य सहकर्मियों को समय-समय पर यथासंभव सहायता प्रदान किया गया तथा हमेशा से शिविर कार्यालय के अन्य सहकर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा है, अगर कोई विद्वेषपूर्ण गतिविधि रहती तो इनके विरुद्ध तत्समय आवेदन आदि दिया गया होता।

पदाधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित कोई शिकायत पत्र/तथ्य संलग्न अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप के दृष्टिगत रक्षित साक्ष्यों के आधार पर विवेचना में स्पष्ट होता है कि आरोप के अनुपात में आरोपित पर गठित आरोप के विरुद्ध संविदा समाप्ति जैसा दण्ड अधिरोपित किया जाना अप्रत्यानुपातिक है।

अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से किये गये कार्य के लिए No Work No Pay का सिद्धांत अपनाया जाए।

उक्त आदेश के साथ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या-8319 दिनांक-03.10.2023 को निरस्त किया जाता है।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना, दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- श्री नीतीश कुमार जवाहर, (Emp. ID No.- AEN02404), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई, Email ID- nkj18101994@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना

ज्ञापांक:-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना,दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना,दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना,दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना,दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-46/2023.....1529.....पटना,दिनांक :- 21/03/2024

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण